प्रकाशनार्थ

पटना, 21 दिसंबर। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) और आद्री द्वारा आज 'पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट' (किसानों को सबसे आगे रखना) शीर्षक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसके पैनल में आइसीआरआइईआर के विजिटिंग फेलो सिराज हुसैन, आइएफपीआरआइ की रिसर्च फेलो सुधा नारायण, जेएनयू के प्रोफेसर विकास रावल, और बिहार सरकार की प्रधान सचिव एन. विजय लक्ष्मी शामिल थीं। पैनल का संचालन आइआइएमए के प्रोफेसर सुखपाल सिंह ने किया।

इस वर्ष आई महामारी के परिणामस्वरूप लोगों के जीवन-जीविका में अनेक बाधाएं आई हैं। खास कर देश के किसानों के लिए इसने और भी चुनौतियां पैदा कर दी हैं क्योंकि भारत सरकार ने महामारी के दौरान नए कृषि सुधार विधेयकों की घोषणा की है जिसके कारण संकट के बीच देश की कृषि सुर्खियों में है। केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक और लोक नीतियों में कृषि बाजारों की अस्थिरता का गहराई से मुकाबला किया जाता है।

सिराज हुसैन - किसान बाजार और कीमतों में उतार-चढ़ाव की दया पर हैं। अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और उनमें अधिक प्रतिस्पर्धा लाने की जरूरत है। लेकिन विभिन्न राज्यों में इन समितियों में काफी अंतर है इसलिए इनके प्रभावों का अनुमान उसी के अनुसार करना होगा। सुधार की जरूरत तो है लेकिन अधिनियम की प्रभाविता के लिए परामर्शमूलक दृष्टिकोण की जरूरत होगी। हाल के समय में कृषि संकट और बाजार संबंधी सुधार आपस में गड्ड-मड्ड हो गए हैं।

सुधा नारायण - अधिनियमों में आपूर्ति-शृंखला के कर्ता-धर्ताओं और खरीदारों का ध्यान अधिक रखा गया है, उत्पादकों, और छोटे तथा सीमांत किसानों का कम। खरीदार कैसे खरीदेंगे इसके लिहाज से इसमें स्थानगत असमानता है और यह भूगोल पर निर्भर है। मंडी लिंग-प्रधान स्थान है - आप महिला केंद्रित संगठनों से सुनते हैं कि महिलाएं भौतिक रूप से बिक्री के लिए मंडियों में नहीं जाती हैं तब भी वे उनको महत्व देती हैं क्योंकि उनके लिए वे बिक्री के विश्वसनीय स्थान हैं। संविदा कृषि अधिनियम महिला किसानों के लिए कोई बदलाव नहीं लाएगा - हमें काम के बोझ पर विचार करने की जरूरत है।

विकास रावल - हमें बाजार संबंधी अधिसंरचना में निवेश बढ़ाने की जरूरत है जिस पर अतीत में काफी चर्चा होती रही है। लेकिन ये कानून निजी निवेश बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगे या नहीं, यह विचारणीय है। इनसे अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होने के बजाय एकाधिकार भी पैदा हो सकता है।

एन. विजय लक्ष्मी - फसलों का विविधीकरण एक जटिल मुद्दा है लेकिन ऐसा किया जा सकता है। राज्य की जलवायु के अनुरूप कृषि विकास की योजना बनाई जा सकती है और यह नियमित अभ्यास हो सकता है जिसमें अगले कदम के लिए कृषि चक्र शुरू होने के पहले शोधकर्ता/ नीति-निर्माता 10 दिनों तक मिलकर विचार कर सकते हैं। उत्पादों के विविधीकरण के बारे में पंजाब से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है जहां एक जैसी खाद्यान्न फसलें उपजाने के कारण जल-स्तर काफी गिर गया है। मोटे अनाज जैसे अन्य फसलों की खेती बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिहाज से उनके साथ संवाद बहुत जरूरी है।

सुखपाल सिंह - ऐसे अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमें इस लिहाज से सोचने की जरूरत है कि कृषि-वस्तुओं की खरीद की जा सकती है या नहीं, या किसके पास पैन कार्ड है। यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही, 2003 का कृषि उत्पादन बाजार समिति संबंधी आदर्श अधिनियम शिकायत निवारण व्यवस्था और दोनो पक्षों के जोखिम की स्थिति में आश्वस्त करने के लिहाज से बेहतर था। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि वर्तमान सरकार सुधार संबंधी एजेंडा में किसानों को आगे नहीं रख रही है।

आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को निरस्त करके किसी वैकल्पिक संस्था के निर्माण के बजाय उसमें सुधार किया जाना चाहिए। हमें मौजूदा चुनौतियों और समिति के लिए अवरोधक निहित स्वार्थों का समाधान करना चाहिए क्योंकि समिति के लिए समस्याएं खड़ी करने वाले लोग भविष्य में नए सुधारों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह मूल समस्या का समाधान करे।

(अंजनी कुमार वर्मा)